UPSI 120001532004

**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिसवाँ- सीतापुर।**
**पीठासीन अधिकारी-(सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP3785**
**फौजदारी वाद संख्या-266/ 2004**
**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह आदि।**

अप०सं०-09/ 2004
धारा-147, 148, 149, 323, 324,
325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना-सकरन, जनपद सीतापुर।

**दिनाँक-31.01.2024** **निर्णय।**

**1.** पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में थाना से आख्या प्रस्तुत की गयी। थाना से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। थाना की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण जयसिंह पुत्र बृजमोहन, गजराज पुत्र मथुरा यादव, व जगन्नाथ पुत्र मथुरा यादव, निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर, मजरा सरैंयाकला, थाना सकरन, जिला सीतापुर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया था जिसके अनुपालन में आज दिनाँक 31.01.2024 को का० सुमित कुमार के द्वारा अभियुक्तगण की मृत्यु आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। तदोपरान्त उनका बयान अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि "अभियुक्तगण जयसिंह पुत्र बृजमोहन, गोलू पुत्र मथुरा यादव, अभि० गजराज पुत्र मथुरा यादव, जगन्नाथ पुत्र साधू की मृत्यु आख्या पर अंकित रिपोर्ट S.I. देवेन्द्र सिंह के हस्तलेख में है। मैं S.I. देवेन्द्र सिंह के साथ कार्य कर चुका हूँ। मैं देवेन्द्र सिंह के हस्तलेख को भली भाँति पहचानता हूँ।"।

**2.** अतः अभियुक्तगण जयसिंह पुत्र बृजमोहन, गजराज पुत्र मथुरा यादव, व जगन्नाथ पुत्र मथुरा यादव, निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर, मजरा सरैंयाकला, थाना सकरन, जिला सीतापुर, की मृत्यु हो जाने के उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

**आदेश**

अभियुक्तगण जयसिंह पुत्र बृजमोहन, गजराज पुत्र मथुरा यादव, व जगन्नाथ पुत्र मथुरा यादव, निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर, मजरा सरैंयाकला, थाना सकरन, जिला सीतापुर की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली वास्ते स्पष्ट मृत्यु आख्या ग्वाल, दिनाँक 05.03.2024 को पेश हो।

**दिनाँक-31.01.2024**

**(सुभाष)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**बिसवाँ-सीतापुर।**

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.01.31 16:59:40 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior Division Biswan